न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 135/2014

वादीगण :-	बनाम	प्रतिवादी :-
1. उगराराम पुत्र चौथाराम		1. राजस्थान सरकार जरिये
2. धर्माराम पुत्र चौथाराम		तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर
जाति-रेगर, निवासी-भूम्बलिया		तहसील-जैतारण (जिला-पाली)
तह0-जैतारण (जिला-पाली)		

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.30.06.2014

उपस्थित:. 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादीगण।
2. सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार, जैतारण।

-:: निर्णय ::- दिनॉक:- 14/03/2015

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत किया है कि सरहद मौजा-भूम्बलिया, तहसील-जैतारण में स्थित वादीगण एवं अन्य खातेदार की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 393 रकबा 96-06 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 373 रकबा 51-05 बीघा किस्म बारानी अव्वल एवं खसरा नम्बर 374 रकबा 38-14 बीघा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई हैं। उक्त कृषि भूमि में वादीगण 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं। इसी हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त करते हैं। नकल जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 की पेश की हैं। सरहद मौजा-भूम्बलिया में वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 216 रकबा 5-04 बीघा किस्म बारानी अव्वल आयी हुई हैं। नकल जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 की पेश की हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 393, 373, 374 व खसरा नम्बर 216 के रकबे की कृषि भूमि में वादीगण के पिता की वल्दियत मंगा पुत्र मंगला इन्द्राज हैं, जो एक गलत इन्द्राज चला आ रहा हैं, जो काबिल दुरूस्त के हैं। वादीगण के पिता का नाम चौथाराम हैं। चौथाराम की मृत्यु संवत 2006 में अपने पिता मंगा के जीवनकाल में ही हो गयी थी। तब वादीगण नाबालिग थे तथा वादीगण के दादा मंगा की संवत् 2032 में मृत्यु होने पर तत्कालीन रेवेन्यू एजेन्सी व सरपंच ग्राम पंचायत भूम्बलिया ने म्यूटेशन संख्या 308 व 309 को स्वीकृत करते समय मंगा फौत होने पर वादीगण उगरा, धर्मा पिसराव मंगा दर्ज कर दिया गया तथा जो म्यूटेशन स्वीकृत किये गये। उस पर दिनांक का भी अंकन नहीं हैं, जो एक सद्भाविक भूल हैं। वादी के पिता मंगा के स्थान पर उगरा, धर्मा पुत्र चौथाराम दुरूस्त किया जाना आवश्यक हैं तथा जो म्यूटेशन संख्या 308 व 309 स्वीकृत किये गये, जो वादीगण के हितों के विरूद्ध बेअसर हैं तथा अपास्त करने योग्य हैं, नकल म्यूटेशन पेश की हैं। वादीगण के पिता का नाम चौथाराम राजस्व रेकर्ड इन्द्राज नहीं होने से वादीगण अपनी कृषि भूमि पर बैंक से ऋण नहीं ले सकते हैं न ही अपने भूमि को काबिल काश्त कर सकते हैं तथा उसमें कुआ खुदवाकर उस पर विद्युत कनेक्शन भी नहीं ले सकते हैं। इससे वादीगण अपने हक अधिकारों से दिन प्रतिदिन प्रभावित हो रहे हैं। वादीगण को अनेको प्रकार की कठिनाई

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पैदा होती हैं। वादीगण ने अपने पिता का नाम चौथाराम संशोधन करने हेतु एक प्रार्थना पत्र प्रतिवादी के कार्यालय में दिनांक 16/06/2014 को प्रस्तुत करने पर उन्होंने सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु कहा, तब वादीगण ने उक्त वाद घोषणा का विरूद्ध प्रतिवादी के प्रस्तुत किया हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद से उक्त भूमि के अन्य खातेदारान् के कोई हक अधिकार प्रभावित नहीं हो रहे हैं तथा न ही उनके विरूद्ध कोई अनुतोष हैं। इसलिए उन्हें इस वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया हैं। वादीगण के पिता का नाम चौथाराम सही हैं। जिसके समर्थन में वादीगण अपने परिवार का राशन कार्ड, पहचान पत्र व अन्य भूमि की जमाबन्दी भी साथ पेश की हैं। बिनायवाद दिनांक 16/06/2014 को वादीगण ने प्रतिवादी को अपने पिता की वल्दीयत संशोधन करने का प्रार्थना पत्र देने पर बमुकाम-भूम्बलिया / जैतारण में पैदा हुआ। जो श्रीमान् के अधिकार क्षेत्र में हैं।

वादी का वाद दर्ज किया गया। प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी जबाब पेश करने का समय चाहते हैं। प्रतिवादी स्वयं उपस्थित होकर जाहिर किया कि दस्तावेज के अनुसार वादी का शुद्धि किया जाना आवश्यक हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का नाम उगराराम, धर्माराम पि0 चौथाराम हैं। परन्तु वल्दियत वादीगण के पिता का गलत नाम मंगा पुत्र मंजला लिखा गया हैं। राशन कार्ड संख्या 89 व 321, आधार कार्ड संख्या 718137677264, चुनाव फोटो पहिचान पत्र संख्या RJ21/159/390280 तथा अन्य भूमि खसरा नम्बर 1, 3, 6, 7, 8 व 9 मौजा-भूम्बलिया की जमाबन्दी बतौर साक्ष्य सबूत पेश की हैं। उक्त साक्ष्य सबूत अनुसार वादीगण के पिता का गलत दर्ज नाम मंगा (चूँकि उक्त नाम वादीगण के दादा का हैं) के स्थान पर दुरूस्त नाम दर्ज करवाया जाना उचित हैं। लिहाजा उक्त भूमि में वाद स्वीकार किया जाकर उगराराम, धर्माराम पि0 चौथाराम का नाम सही करना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं सरहद मौजा-भूम्बलिया, तहसील-जैतारण में स्थित वादीगण एवं अन्य खातेदार की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 393 रकबा 96-06 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 373 रकबा 51-05 बीघा किस्म बारानी अव्वल एवं खसरा नम्बर 374 रकबा 38-14 बीघा किस्म बारानी अव्वल में वल्दियत वादीगण के पिता गलत दर्ज नाम उगराराम धर्माराम पि0 मंगा के स्थान पर उगराराम, धर्माराम पि0 चौथाराम दुरूस्त दर्ज किया जावें। वादीगण उगराराम, धर्माराम पि0 चौथाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर रा0मि0 किया गया। तहसीलदार, जैतारण को डिक्री की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेखा भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनांक 14/03/2015 को आयोजित मेगा लोक अदालत न्यायालय हाजा में सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादीगण :- बनाम प्रतिवादी :-

1. उगराराम पुत्र चौथाराम
2. धर्माराम पुत्र चौथाराम

जाति-रेगर, निवासी-भूम्बलिया

तह0-जैतारण (जिला-पाली)

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जैतारण तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0स0:135/2014

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं सरहद मौजा-भूम्बलिया, तहसील-जैतारण में स्थित वादीगण एवं अन्य खातेदार की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 393 रकबा 96-06 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 373 रकबा 51-05 बीघा किस्म बारानी अव्वल एवं खसरा नम्बर 374 रकबा 38-14 बीघा किस्म बारानी अव्वल में वल्दियत वादीगण के पिता गलत दर्ज नाम उगराराम धर्माराम पि0 गंगा के स्थान पर उगराराम, धर्माराम पि0 चौथाराम दुरूस्त दर्ज किया जावें। वादीगण उगराराम, धर्माराम पि0 चौथाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को डिक्री की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज ....-....मुबलिक.....-....बाबत.....-....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शरह....-....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 14/03/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	01-00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	21-00	महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	02-00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजानः-	25-00	मिजानः-	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा वह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।